

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. उपाध्यक्ष,
लखनऊ/कानपुर/आगरा/
मेरठ/गाजियाबाद एवं गोरखपुर विकास
प्राधिकरण, उ०प्र०। | 2. अपर आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। |
| 3. वित्त नियंत्रक,
आवास एवं विकास परिषद/लखनऊ
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ। | 4. निदेशक,
आवास बन्धु,
लखनऊ। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 67 जून, 2024

विषय: अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में नई विस्तृत एवं व्यवहारिक कार्टिंग
गाइडलाइन्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में बैठक।

महोदय,

अवगत कराना है कि सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक
27.05.2024 द्वारा अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान में लागू कार्टिंग
गाइडलाइन्स एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों का अध्ययन कर, नई
विस्तृत एवं व्यवहारिक कार्टिंग गाइडलाइन्स तैयार कर उपलब्ध कराते हुये वर्तमान में प्रचलित
कार्टिंग गाइडलाइन्स में कतिपय संशोधन किये जाने हेतु संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी है, जिस पर
विचार-विमर्श किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की
अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री भवन, प्रथम तल स्थित कार्यालय कक्ष में दिनांक 11.06.2024 को
अपरान्ह 04:30 बजे से बैठक निर्धारित की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में सुसंगत सूचनाओं
सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किए जाने हेतु आई०डी० एवं पासवर्ड यथा समय उपलब्ध
कराया जायेगा। मुख्यालय के अधिकारीगण भौतिक रूप से प्रतिभाग करेंगे।



(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव

संख्या- (1) / आठ-1-24-952 / 2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से
प्रेषित कि उक्त आहूत बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर भौतिक रूप से प्रतिभाग करने का
कष्ट करें।
4. प्रभारी पास आफिस, लाल बहादुर शास्त्री भवन को उपरोक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले
अधिकारियों के प्रवेश-पत्र निर्गत किये जाने हेतु।

आज्ञा में,

(अरुण कुमार)
अनु सचिव।